NAME OF NEWSPAPERS--

THE TIMES OF INDIA. NEW DELHI WEDNESDAY, OCTOBER 9, 2024 --- DATED-

Karkardooma flats for poor await approvals from various agencies

Vibha.Sharma @timesofindia.com

New Delhi: The allotment of 498 EWS flats at the Karkardooma transit-oriented development (TOD) project will take time as Delhi Development Authority (DDA) is waiting for approvals from various agencies.

'The residential complex is among three being constructed under the TOD project. The EWS tower is named Himadri. The allotment at Himadri will start once all statutory compliances, including Real Estate (Regulation and Development) Act (RERA) registration and fire NOCs, are in place," an official said. The authority claimed to have already initiated the process to expedite the clearances.

The whole complex is being developed by the National Building Construction Corporation (NBCC). Although work at the site was completed in July, DDA will take over the possession of the flats after completing its inspection and fulfilling other formalities.

The EWS housing complex, part of phase I, has ground plus 22 floors with a basement for parking. "DDA aims to come out with a broad scheme for the sale of these flats," an official said.

The authority is also working on plans to complete two more residential towers, Kanchenjunga and Shivalik, by March 2025.

These two towers include a residential trapezium (RH) complex with 450 2BHK flats. It will be the tallest with 47 floors and two basements. There is also an



9 YRS AND COUNTING: The project has faced significant delays since its approval in 2015

RH02 complex (with 2 BHK of small size), with nine towers (six towers with 10 floors and three with 33 floors) and 576 flats, an official said.

To ensure efficient parking of vehicles, basements with sufficient space have been created. The total estimated car parking space in phase I will be 1,540.

Under the TOD project, divided into two parts, DDA targets the construction

The mixed-use development project will feature residential, commercial and civic facilities in a 70%, 10% and 20% proportion, respectively, with an additional 15% area developed for EWS

of 1,524 flats in phase I by March 2025, with an overall goal of 6,518 residential flats, including 1,992 for the economically weaker section. The entire project cost is approximately Rs 1168.54 crore.

The project has faced significant delays since its approval in Feb 2015 by former LG Najeeb Jung.

The MoU between NBCC and DDA was signed in 2015 and revised in 2019 to align with the transit-oriented development policy. Work finally began in Sept 2021, but the project continued to face delays.

Lieutenant governor VK Saxena, after meeting with DDA officials in Feb 2023, said that efforts will be made to complete phase I of the TOD project by March 2024. The authority is now aiming to complete the whole project by Sept 2026," an official earlier said. The mixed-use development project

will feature residential, commercial and civic facilities in a 70%, 10%, and 20% proportion, respectively, with an additional 15% area developed for EWS.

Office complexes will be within walking distance and connected to the Karkardooma Metro station, which offers an interchange facility between the Blue Line and Pink Line.

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI WEDNESDAY, OCTOBER 9, 2024

NAME OF NEWSPAPERS

Hindustan Times WEDNESDAY OCTOBER 09, 2024

Salon owner arrested for hit and run that killed delivery agent



Police scanned footage from over 100 CCTV cameras to track the accused

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: A salon owner was arrested in connection with a hit-and-run incident in which afood delivery agent was killed in southwest Delhi's Munirka on Monday. Inquiry revealed that he was returning from Mahipalpur and driving at high speed. The accused was identified as Naveen Kumar, a resident of Sadiq Nagar and a BA graduate.

DCP (South West) Surendra Chaudhary said that they scanned footage from over 100 CCTV cameras and they were able to track down the routes taken by the accused to flee. Police said they nabbed him from his house in Sadiq Nagar. The offending vehicle, a Creta car, was recovered from his residence. The windscreen was shattered and blood spots were found in the car.

"During the inquiry, he claimed that he went to Mahipal-pur with his friend. While returning, he was driving at high speed and hit the food delivery agent. We suspect that he was returning from a party. His blo-

od has been sent for a medical test to ascertain whether he was drunk at the time of the incident," police said.

Kumar told cops that after the incident, he stopped his car but saw that people gathered there, so he left the place. His testimony is being verified.

The deceased was identified as Harendra, who lived with his family in RK Puram. He is survived by his wife, Chetna, and their six-month-old son. His father, Suresh Chand Sharma, worked in DDA. His untimely death has left his family in grief. Authorities have urged anyone with information to come forward and assist in the investigation.

Harendra's elder brother, Deepak, said that the former worked as a multipurpose health worker at a hospital in south Delhi. He used to work as a food delivery executive at night. "He only used to sleep for a few hours," Deepak said. Earlier on Monday, police

received a PCR call at 2.45 am regarding the accident. Harendra was rushed to Safdarjung Hospital but was declared dead upon arrival.

MCD shares status of 16 deemed forest sites

Paras Singh

paras@hindustantimes.com

NEW DELHI: The Municipal Corporation of Delhi (MCD) has submitted with the state forest department a survey report on the current status of 16 sites within its jurisdiction which are marked as "deemed forest land", officials from the civic body said on Tuesday.

The status report, the officials said, also lists the attempts made to protect and restore these sites, with techniques including gap plantation, removal of encroachments, and signboards identifying their status, among others.

The 16 deemed forest sites were identified by a committee formed by the then conservator of forests in 1997, and work on their rejuvenation is being overseen by a committee for the protection of deemed forests. headed by retired judge justice Najmi Waziri. Based on the 1997 identification, a number of patches — which are now roads, drains, or parks - were also classified as deemed forests.

The forest department did not comment on the development.

According to the MCD report, dated October 8, of these 16 sites, six sites fall under the Central zone, four under the West zone, two under the South



The deemed forest site at Link Road (near Defence Colony). HTPHOTO

zone, two in Keshavpuram, and one each in Narela and Shahdara South.

A survey found that these sites have a cumulative area of 92-acres and they were found to contain 20,570 trees

The Central Delhi sites include Feroze Gandhi road, Link Road (near Defence Colony), the area along the drain in Defence Colony, Store Wala Park in New Friends Colony, SLF Tughlaqabad, and Rajiv Gandhi Smriti Van.

The four sites in West Delhi are the regional park in Punjabi Bagh, green belt number 2 and 3 in Punjabi Bagh, and the old landfill site in Uttam Nagar. Other locations range from B3 block Paschim Vihar, Bhorgarh nursery, the park opposite the DDA market in Shanti Niketan, the central park in Mayur Vihar phase-3 pocket A-2, the green belt in Ashok Vihar CD block, and a patch in Greater Kailash W-block.

"The Municipal Corporation of Delhi in its restoration efforts has planted 4,806 trees during this year to these sites with maximum plantation carried out in Defence Colony, Greater Kailash and Uttam Nagar," the report stated.

It also noted that a religious structure in the Mayur Vihar phase-3 site encroaches upon the deemed forest, and its removal will require clearance from the religious committee, officials added.

NAME OF NEWSPAPERS

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । बुधवार, 9 अक्टूबर 2024

चाहता ही नहीं

🔳 नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने साउथ दिल्ली में यमुना किनारे फ्लडप्लेन पर बसी एक झुग्गी बस्ती को डीडीए से जगह खाली करने के लिए मिले नोटिस से राहत देने से मंगलवार को इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को ऐसी मांग करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने शबनम बर्नी की याचिका खारिज कर दी और उन्होंने हाई कोर्ट की सिंगल बेच द्वारा मामले में जारी निर्देशों पर अमल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा, याचिकाकर्ता का 27 सितंबर, 2024 को मिले एविक्शन नोटिस पर रोक की मांग करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। उसे हाई कोर्ट की सिंगल बेंच द्वारा 8 जुलाई, 2024 को पारित निर्देशों पर अमल करना चाहिए। याचिकाकर्ता ने दशकों से श्रम विहार में बसे होने का दावा करते हुए कोर्ट से कहा कि संबंधित जमीन यमुना के फ्लडप्लेन या 'O' जोन में नहीं आती हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने दावा किया कि बस्ती वालों ने कॉलोनी को अधिकृत करने के लिए संबंधित प्राधिकार को आवेदन दे रखा है।



HC ने यह टिप्पणी श्रम विहार में फ्लडप्लेन पर बसी बस्ती के एविक्शन नोटिस पर रोक लगाने से इनकार करते हुए की

दूसरी ओर लैंड ओनिंग एजेंसी डीडीए ने कोर्ट में यह दलील दी कि विवादित इलाका पूरी तरह से बाढ़ क्षेत्र का हिस्सा है और जोनल डिवेलपमेंट प्लान के मुताबिक, उसका इस्तेमाल केवल कृषि संबंधी और पेड़ पौधे लगाने जैसे कामों के लिए ही हो सकता है। अथॉरिटी ने कोर्ट को यह भी बताया कि श्रम विहार का नाम उन 1735 कॉलोनियों की सूची में शामिल नहीं हैं, जिन्हें रेगुलराइज किया गया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने याचिका को खारिज कर दिया।

अपने बचाव में यह तर्क भी दिया कि पूरा का पूरा सैनिक फार्म अनिधकृत है तो क्या उसे खाली कराया जा रहा है।

यमुना में प्रदूषण के लिए आम जनता को बराबर का जिम्मेदार मानते हुए कोर्ट ने कहा, समस्या यह है कि कोई चाहता ही नहीं है कि यमुना साफ सुथरी हो, उसमें प्रदूषण घटे। जाइए, देखिए कैसे यमुना में झाग बन रहा है, नदी के पास से गुजरते हुए मील की दूरी से ही बदबू आने लगती है और यह सब इसलिए क्योंकि हम उसे और प्रदूषित करते जा रहे हैं। उसके किनारे पर अनधिकृत कॉलोनियां बस गई हैं और उनका पूरा सीवेज यमुना में जा रहा है। इन टिप्पणियों के साथ हाई कोर्ट ने

दैनिक जागरण

NAME OF NEWSPAPERS

नई दिल्ली, ९ अक्टूबर, २०२४

----DATED



फुटपाथ से सड़क तक रेहड़ी-पटरी और पार्किंग माफिया का कब्जा

नेहरू प्लेस मार्केट में हैं 16 हजार दुकान व कार्यालय, एमसीडी की कुल 15 पार्किंग की क्षमता 1300 वाहन

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्लीः नेहरू प्लेस मार्केट एशिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर हार्डवेयर बाजार है। एनसीआर समेत अन्य राज्यों से करीब साढे तीन लाख ग्राहक रोजाना यहां आते हैं। करीब 16 हजार कार्यालय और दुकानें हैं, जिनमें करीब डेढ़ लाख लोग काम करते हैं। एमसीडी की 15 पार्किंग की क्षमता करीब 1,300 वाहनों की है। यहां फुटपाथ से लेकर सड़कों तक पार्किंग माफियाओं ने कब्जा कर रखा है। वहीं अंदर मार्केट में अवैध रेहड़ी-पटरी वालों का अतिक्रमण है।

दुकानदारों का आरोप है कि अंदर किसी से मिलने या किसी को छोड़ने आ रहे लोगों से भी जबरन पार्किंग शुल्क वसूला जाता हैं। मना करने पर अंदर नहीं जाने देते और मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। मार्केट में पार्किंग क्षमता बढ़ाने के लिए पिछले चार-पांच वर्ष से मल्टी लेवल पार्किंग का काम चल रहा। करीब 62 करोड़ की लागत से बन रही इस पार्किंग की क्षमता 660 वाहनों की होगी। काम अगस्त 2024 तक पूरा होना था, लेकिन अभी तक लगभग 40 फीसदी ही काम हो पाया है। इस वजह से मार्केट के फुटपाथ से लेकर सड़क तक में वाहन खड़े रहते हैं। इस वजह से पैदल चलने वाले यात्रियों को भी परेशानी होती है।



नेहरू प्लेस मार्केट में फुटपाथ से लेकर सड़क पर पार्क हो रहे वाहन, पैदल चलने वालों को होती है परेशानी 🁁 जागरण

से प्रभावित लोगों की राय



सीसीटीवी कैमरा लगा होने और मार्केट में पुलिस पिकेट के बाद भी चोरी का डर रहता

है। चोर अक्सर दुकानों में लगी एसी के कापर वायर काटकर चुरा ले जाते हैं।

–संदीप अग्रवाल, दकानदार



मैं कोटला मबारकपर से यहां कछ आईर करने के लिए आया था। गाड़ी पार्क करने में मझे घंटाभर से ज्यादा

लग गया। पार्किंग के लिए संबंधित विभाग को व्यवस्था करनी चाहिए। -रविंद्र कमार, ग्राहक

बाजार का हाल

- खरीदारी करने पहुंचने लोगों को वाहन खड़ा करने में होती है परेशानी
- ६६० वाहनों की क्षमता वाले मल्टी लेवल पार्किंग का चल रहा है काम

मार्केट में हम लोग

कोई भी प्रोग्राम

करते हैं तो पुलिस

फौरन पहुंच जाती

पुलिस इसी तरह की मुस्तैदी क्यों नहीं दिखाती। रविवार

की सुबह पांच तीन दुकानों के ताले काटे जा रहे थे। गार्ड ने शोर मचाया।

–आरपी मल्होत्रा, दकानदार

है। चोरियों के समय

मार्केट के सुंदरीकरण

को लेकर जो भी काम

कराए गए थे. उसका

प्रतिफल राहां को

लगाए गए। सीढियों को भी ठीक किया

गया। -रतन लाल जैन, दकानदार

लोगों को नहीं मिल

पाया। फर्ज पर पत्थर



मार्केट में रेहड़ी-पटरी वालों ने फुटपाथ पर कर रखा है कब्जा 🌢 जागरण



के लिए कराए गए थे। पान मसाला खाकर कहीं भी थूक देने लोगों की दिक्कत

है। फटपाथों की फ्लोरिंग में लेवल का ध्यान नहीं रखा गया। कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा ।

–अमित जैन, दुकानदार



मार्केट आने के लिए आउटर सर्किल की संडकों के एंट्री प्वाइंट डीडीए ने कई जगहों पर बंद कर दिए हैं। यहां दिव्यांगों के लिए

बने रैंप पर लोग बाडक से चले आते हैं। -सभाष खराना, दकानदार



की अवैद्य दुकानें भी समस्या हैं। इनकी वजह से चलने की जगह नहीं बचती। ये बडी-बडी छतरी लगा

लेते हैं। ग्राहकों को दुकानों को नाम तक नहीं दिख पाते। सुंदरीकरण का काम अब बदसूरत हो चला है। भीमसेन मेहता, दुकानदार



्र बरामदे से लेकर सीढियों पर कई जगह पान-मसाला खाकर लोग थक देते हैं। देश-विदेश के गाहक आते हैं।

सफाई को लेकर बहुत ही बरा फीडबैक जाता है। -उमेश सूरी, दुकानदार

डीडीए का पक्ष

नेहरू प्लेस जिला केंद्र में सभी पार्किंग एमसीडी के अधिकार क्षेत्र में हैं। दुकानों के सामान और सामान से लंदे भारी वाहनों के आने से ग्रेनाइट फर्श टूटे हैं। कई बार फर्श को बदला भी गया है । दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है कि वह वाहनों की अवैघ आवाजाही रोके और उचित कार्रवाई करे । डीडीए अवैघ और अनिघकृत अतिक्रमण की समस्या को एमसीडी के उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया है।



मार्केट में साफ-स्राह्म का बिल्कल भी ध्यान नहीं रखा जा रहा। संदरीकरण के लिए लगाए गए पत्थर उखडने

लगे हैं। मार्केट के मुहाने पर ही गाड़ियां खड़ी कराई जा रही हैं। अंडरग्राउंड पार्किंग में जगह कम है। -अलजीत सिंह, दुकानदार



कंप्यूटर से संबंधित सभी तरह के हार्डवेयर, एसेसरीज का यह हब है, लेकिन ग्राहकों के लिए मार्केट के अंदर शौचालयों

जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। -एमके गुप्ता, दुकानदार

मार्केट के सुंदरीकरण का हाल ही में हुआ था काम

आठ महीने पहले नेहरू प्लेस के सुंदरीकरण के लिए उपराज्यपाल ने 18 करोड़ रुपये का बजट जारी किया था। हीहीए ने 90 करोड़ रुपये खर्च करके फर्श और पहली मंजिल पर ग्रेनाइट औ पार्किंग में ब्रिक्स विछाए गए। सुरक्षा के लिए 224 सीसीटीवी कैमरे लगे।

यदि न हो समस्या का हल

दैनिक जागरण आपके मुद्दों को उटा रहा है। अगर, आपकी समस्या का हल नहीं हो रहा है तो दिल्ली विकास पाधिकरण (डीडीए) के हेल्पलाइन नंबर 1800110332 पर संपर्क कर सकते हैं। वहीं दक्षिण दिल्ली नगर निगम कार्यालय के दूरभाष नंबर 011- 47501986 के साथ ही दिल्ल पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 112 पर भे शिकायत की जा सकती है।



